पत्र सं0–1प्रा0आ0–13/2016....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,

संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

पटना/बक्सर/भोजपुर/वैशाली/सारण/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/

बेगुसराय/कटिहार/भागलपुर/ मुंगेर ।

पटना–15, दिनांक–

विषयः बाढ़ प्रभावितों को त्वरित राहत पहुँचाने हेतु नयी रणनीति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय पत्रांक 3126/आ0प्र0 दिनांक– 22–08–2016 के क्रम में कहना है कि कल दिनांक 25–8–2016 को बाढ़ राहत कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गयी । साथ ही माननीय मुख्य मंत्री ने पटना जिला के बाढ़ राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया । निरीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि बहुत से गांव अभी भी बाढ़ से घिरे हुए हैं तथा प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद बहुत से लोग घर छोड़ कर राहत शिविरों में आना नहीं चाहते हैं । अतएव यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न जिलों में बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुँचाने की रणनीति स्थिति विशेष के अनुसार बदलने तथा नयी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है । राज्य सरकार की मंशा है कि किसी भी बाढ़ प्रभावित के समक्ष खाने–पीने का संकट उपस्थित नहीं हो । तद्नुसार जिलों द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं के आलोक में तुरंत के प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी :

(1) जहाँ बाढ़ से घिरे इलाके के लोग प्रशासन के प्रयासों के बावजूद किसी कारणवश राहत शिविरों में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए प्रभावित क्षेत्र के ही किसी ऊँचे स्थान पर सामूहिक किचेन (Community Kitchen) चलाया जाएगा। इससे संबंधित निदेश विभागीय पत्रांक 3188/आ0प्र0 दिनांक 25–08–2016 द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित है ।

(2) यह भी देखा गया है कि कोई गांव बाढ़ में डूबा हुआ है, परन्तु वहाँ बहुत सारे लोग अपने घरों के छतों आदि पर शरण लिए हुए हैं एवं वे शिविरों में आना नहीं चाहते । परन्तु नाव उपलब्ध होने पर वे अपने घरों से निकल कर जहाँ भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है, उस स्थान तक आ सकते हैं तथा नाव से भोजन कर के वापस चले जा सकते हैं । अतएव ऐसे स्थानों के लिए लंगर चलाने की आवश्यकता होगी। वहां लोगों को दो समय का भोजन कराया जा सकता है । व्यवस्था यह होगी कि नाव के माध्यम से ऐसे लोगों को लंगर स्थल तक लाया जाए तथा सुबह 9–10 बजे के आसपास ही दिन का भोजन कराकर नाव से उन्हें घर भेज दिया जाए । इसी प्रकार रात का भोजन शाम को ही करा दिया जाए तथा उन्हें अंधेरा होने के पहले घरों में भेज दिया जाए । जिला

पदाधिकारियों को सूक्ष्मतापूर्वक ऐसे मामलों में लंगर चलाने के लिए उचित स्थानों एवं संबंधित गांवों की पहचान करने की आवश्यकता होगी । जो लोग भोजन करने आएँगे उनका पंजीकरण कर लिया जाएगा ताकि लेखा के संधारण में कठिनाई नहीं हो । भोजन पर होनेवाला व्यय खाद्यान्न आपूर्ति मद से वहन किया जाएगा । भोजन स्टील के बर्तनों में कराया जाएगा जिसका व्यय मुख्य मंत्री राहत कोष से किया जाएगा ।

(3) जो लोग बाढ़ राहत शिविरों अथवा उपर्युक्त दोनों व्यवस्थाओं का लाभ ले पाने की स्थिति में नहीं होंगे उनके संबंध में निर्णय लिया गया कि अब उन्हें सूखा राशन के रूप में चूड़ा/सत्तू/गुड़ के बजाय फूड पैकेट में भोजन सामग्री दी जाएगी । एक फूड पैकेट में 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 2 किलो आलू एवं नमक तथा हल्दी का छोटा पैकेट रहेगा । जिला पदाधिकारी किसी वरीय पदाधिकारी की देखरेख में इन पैकेटों को बनवाने का काम करायेंगे तथा उन क्षेत्रों की पहचान कर लेंगे जहाँ इन पैकेटों को भेजने की आवश्यकता है । ये पैकेट एन0डी0आर0एफ0 / एस0डी0आर0एफ0 के माध्यम से संबंधित परिवारों को प्रति परिवार एक पैकेट की दर से उपलब्ध कराया जाएगा । एन0डी0आर0एफ0 / एस0डी0आर0एफ0 को एक रजिस्टर दे दिया जाएगा जिसमें वे फूड पैकेट पानेवाले परिवारों की विवरणी दर्ज करेंगे तथा उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर लेंगे । इस मद में होनेवाला व्यय आबादी निष्क्रमण मद से किया जाएगा ।

(4) यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि अब बाढ़ का पानी कम हो रहा है अतएव जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्रता से बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य मद के अन्तर्गत अनुमान्य साहाय्य उपलब्ध कराया जाएगा । इस संबंध में विभागीय पत्रांक– 2964/आ0प्र0 दिनांक– 05–08–2016 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गए हैं । परन्तु साहाय्य अनुदान देने के पूर्व प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण कर लेना अत्यन्त आवश्यक होगा ताकि मुफ्त साहाय्य मद में देय राशि सही लोगों तक पहुँच सके ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वाभाजन,
ह0–
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3202 पटना, दिनांक– 26/8/16

प्रतिलिपिः संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव /सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी /माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/16
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव